

मध्यप्रदेश विधान सभा



सितम्बर, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 (भाद्र 24, 1944)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री**, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(2) **डॉ. (कुँवर) विजय शाह, वन मंत्री**, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के अंतर्गत बनाये गये नियम की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री**, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन निम्नलिखित प्रतिवेदन -
(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-1,

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सिंध परियोजना चरण- II के उद्देश्यों की उपलब्धि के निष्पादन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक-2,

(ग) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मध्यप्रदेश में 74 वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(घ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) से पूर्व और पश्चात् विद्युत वितरण कंपनियों के प्रदर्शन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(च) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-6 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री बिसाहलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री**, वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री**, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बनाये गये नियम 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) **डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973) की धारा 14 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-12-24-2021-सत्रह-मेडि-03, भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021, तथा

(ख) क्रमांक एफ-12-06-2022-सत्रह-मेडि-3, भोपाल, दिनांक 06 मई, 2022

पटल पर रखेंगे.

(8) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री**, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन**, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 (01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020) पटल पर रखेंगे.

(10) **श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण**, आर्टीकिल्स ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य**, मंदसौर में कोरोना काल के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा न दिये जाने की ओर राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य**, रायसेन जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों का संबल योजना के तहत पंजीयन न किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) **श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य**, जबलपुर में स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सीवर लाईन का कार्य अपूर्ण होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) **श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य**, चित्रकूट स्थित सिद्धा पहाड़ पर खनिज पट्टा दिये जाने से राम वन गमन पथ को नष्ट किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री पी.सी. शर्मा, सभापति**, लोक लेखा समिति का चौंतीसवां से उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) **श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति**, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य**, नर्मदापुरम जिले के फेफरताल में साईं किरण विहार कालोनी से कृष्णा केरियर स्कूल होते हुए गीता भवन तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य**, ग्वालियर जिले के दीनदयाल नगर, शताब्दीपुरम्, आदित्यपुरम् में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य**, विदिशा जिले के ग्राम सेमलखेड़ी तालाब का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(4) **श्री घनश्याम सिंह, सदस्य**, दतिया जिले के ग्राम हिनोतिया से चिरौल तक की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य**, छतरपुर जिले के ग्राम लक्ष्मनपुरा से श्यामाझारे तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य**, उज्जैन जिले के ग्राम खोरिया पदमा कांकड़ से नागपुरा गेलाखेड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री राजेश कुमार प्रजापति, सदस्य**, छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्हौरी से उ.प्र. के महोबा जिले की सीमा तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य**, अलीराजपुर जिले के ग्राम फड़तला पंचायत भवन से थोड़सिंधि ओहरिया फलिया वालपुर-अलीराजपुर मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री निलय विनोद डागा, सदस्य**, बैतूल जिले के रोंढा से भवानीतेडा-भोगीतेडा मार्ग की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(10) **श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य**, दमोह जिले के हटा अंतर्गत ग्राम बर्धा में विद्युत उपकेन्द्र खोले जाने,

(11) **श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य**, राजगढ़ जिले के ग्राम पान्दा शासकीय हाई स्कूल का नवीन भवन स्वीकृत किये जाने,

(12) **श्री आरिफ मसूद, सदस्य**, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 19 में सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य**, नरसिंहपुर जिले के ग्राम देवनगर पुराना स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(14) **श्री मनोज चावला, सदस्य**, रतलाम जिले के आलोट अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त हुई विद्युत केबल लगाये जाने,

(15) **श्री रामचन्द्र दांगी, सदस्य**, राजगढ़ जिले के ग्राम परसुलिया से बालचिड़ी रास्ते पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(16) **कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य**, छतरपुर जिले के ग्राम गढा 1008 श्री बागेश्वर धाम को पर्यटक एवं आध्यात्मिक केन्द्र घोषित कर सत्संग, धर्मशाला एवं सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री संजय शर्मा, सदस्य**, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पनारी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य**, सिवनी जिले के ग्राम गुरुधाम दिघोरी-कोठिया बंधा मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा', सदस्य**, मुरैना जिले के ग्राम रामलाल पुरा एवं बघरी बरैड में शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,

(20) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य**, नीमच जिले के बिसलवास सोनिगरा से बोरखेड़ी पानेरी (मनासा रोड) तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री संजय यादव, सदस्य**, जबलपुर जिले के अंतर्गत गुबराकलौ सब माईनर नहर का पुनः निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री रामपाल सिंह, सदस्य**, रायसेन जिले के ग्राम महुआखेडा कलां-महगवां टप्पा के मध्य सेमरी नदी पर पुल निर्माण कराये जाने,

(23) **श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य**, सतना जिले के सिंहपुर को नगर पंचायत बनाये जाने,

(24) **श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य**, विदिशा शहर के बरईपुरा मोहल्ले में पुराने नाले से अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण कराये जाने,

(25) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य**, दमोह जिले के ग्राम हरदुआ सड़क के बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार एवं नहर की मरम्मत का कार्य कराये जाने,

- (26) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 47 में पुरानी सीवर लाईन ठीक कर नई सीवर लाईन डाले जाने,
(27) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम नौदिया खैरा पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(28) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम मूलपार से बिलुहरी, कटनी मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने,
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के पुरा मुख्य मार्ग से पुरा ढाना तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(30) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य, मंडला जिले की निवास तहसील को चहुंमुखी विकास हेतु जिला बनाये जाने,
(31) श्री राकेश मावई, सदस्य, मुरैना जिले के बिचौला-रिठौरा मार्ग से नाउपुरा तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने,
(32) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले के ग्राम कलालदा में मेन रोड से पटेलपुरा तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
(33) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम अमोदिया में मगरडोज पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने,
(34) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा नगर में महिला पुलिस थाना स्वीकृत किये जाने,
(35) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम लिधौरा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त लांच पुल का पुनः निर्माण कराये जाने,
के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2022-2023 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

2 घण्टे
30 मि.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“ दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 एवं 57 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ हजार, पांच सौ उन्तीस करोड़, तीन लाख, सत्तर हजार, तीन सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(2) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(8) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) श्री इंद्र सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :

दिनांक : 14 सितम्बर, 2022.

ए. पी. सिंह,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.